आदेश

जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांकः 15.12.2012 के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी के अन्तर्गत किये जो रहे कार्यों को सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जाने वाली राशि में वृद्धि करते हुये मु0 1000/– के स्थान पर लोकवाणी केन्द्रों के संचालन हेतु मु0 5000/– की धनराशि प्रतिभूति के रूप में लोकवाणी समिति के कोष में जमा करायी जाये। तद्नुसार भविष्य में संचालित होने वाले लोकवाणी केन्द्रों के संचालकों से प्रतिभूति के रूप में मु0 5000/– की धनराशि जमा करायी जायेगी। जिन लोकवाणी केन्द्रों के संचालकों से केवल मु0 1000/– की प्रतिभूति जमा करायी गयी है, वह शेष मु0 4000/– लोकवाणी समिति के खाते में जमा करायेंगें।

सचिव, लोकवाणी समिति/
नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्याः 202 /लोकवाणी लिपिक/2012 दिनांकः 17 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया को सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को सूचनार्थ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उन्नाव को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि जिन केन्द्रों द्वारा उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में उनका लॉगिन आई0डी0 बन्द कर दिया जाये।
5. समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को उक्त प्रतिभूति राशि तीन दिवस में लोकवाणी समिति के कोष में जमा करायें।

17-12-12

सचिव, लोकवाणी समिति/
नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।